मु० नम्बर.....किस्म.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

.....उनवान.....

दिनांक	फर्द अहकाम
8/2	पत्रावली तारीख पेशी हेतु पेश हुई। पक्षकार उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते आयलान वकील व आयलान तारीख पेशी मार आयलान वकील के कायम मुकाम दर पेश करें दिनांक 19-10-23 को पेश हो। 19/10/23
19/10/23	पक्षकार उपस्थित/पीठासीन अधिकारी ..... पधारे है। गतानुसार दिनांक 13-2-24 को पेश हों।
13/2/24	पत्रावली पेश हुई। आयलान व आयलान वकील उप० नहीं। मुकदमा में आयलान व आयलान वकील को बार-बार आवाज दिलवायी गयी। आवाज दिलवाने के बावजूद आयलान व आयलान वकील उप० नहीं। जिससे जाहिर होता है कि आयलान व आयलान वकील मुकदमा आगे चलाने में रुचि नहीं ले रहा है। मुकदमा दि० 15-7-22 से कायम मुकाम दर पेशकर्ता में निचारनीय है। अ०नि० मु० नं० 22/197.I श्रीमती बाई बनाम सुखलाल अदम पत्नी व अदम वगैरह में खारिज किया जाता है। पत्रावली बैसाख मुताबिक रोकर नम्बर से नम्बरी 13/2/24 उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.02.22 12:34:32 IST
Reason: SelfAttested